SC No. 184

आर टी आई मामला/समन्वय

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 19/9/ 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री स्वामी अमृतानन्द देवतीर्थ का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री स्वामी अमृतानन्द देवतीर्थ के दिनांक 26/8/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ ....से अंतरण द्वारा दिनांक 30/8/2013 को प्राप्त) को आई.एस. प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 14.08.2013 की रसीद सं. 26751 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

Dir (ISII) [illegible]

सेवा में

निदेशक (आई.एस.-I)

गृह मन्त्रालय, नार्थ ब्लाक

नई दिल्ली

RTI-184/Dir(IS-I)/13
27/9/13

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री स्वामी अमृतानन्द देवतीर्थ

उच्च सुरक्षा कक्ष,

मध्यवर्ती कारागार तालोजा, खारघर

नवी मुम्बई - 410210

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

दिनांक 20
Dated.....20.....

सं. /No. 26754

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km.....

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ के दिनांक 20
with Letter No./Reference No.....Dated.....20.....

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No.....

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash .....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्यक्षर / Initials

पदनाम / Designation

रूपये / Rs. _____

RTI Act 2005 की धारा ६ के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन (Regd. Post)

पत्रांक :- HHJS - 467/RTI- M- 24/ TCP- 2013 , दिनांक :- 26.08.2013

5835/RTI/2013
19.09.13

सेवार्थ,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
30 AUG 2013
के.र.सं. 1114
C.R. No.

[आवेदक का नाम व पत्ता]

अनंत श्री स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ , शंकराचार्य , सर्वज्ञ शारदा पीठ,कश्मीर (J&K)
उच्च सुरक्षा कक्ष , मध्यवर्ती कारागार तलोजा, खारघर,नवी मुंबई - ४१०२१०

[सूचना से संबंधित विषय एवं कालावधि]

समान नागरिक संहिता, अभिनव भारत, हिन्दू आतंकवाद के आरोपियों पर स्वतंत्रा, NIA कोर्ट,

[क्या सूचना चाहिए ?]

1. कृपया बताएं कि दि० 23.08.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार "केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा "अभिनव भारत" संगठन पर प्रतिबंध लगाने हेतु भेजे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।" सत्य है ? यदि हां, तो कृपया महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की एक प्रति एवं गृहमंत्रालय (MHA), भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के निर्णय की प्रति तथा इस विषय से संबंधित सभी प्रासंगिक (relevant) रिपोर्टों की प्रति के साथ उपलब्ध कराएं।

2- कृपया बताएं कि देश के किन राज्यों से, किन संगठनों को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव भारत सरकार के पास कबसे लंबित हैं ? तथा इन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत करने में क्या बाधा है ?

3- कृपया बताएं कि संविधान के अनुच्छेद "141" के अनुसार वर्ष 2000 से अब तक उच्चतम न्यायालय के कौन से निर्णय भारत सरकार के सभी न्यायालयों में लागू किए गये हैं ?

PTO

4- इस देश में लंबे समय से जड़ जमा चुके जेहादी इस्लामिक आतंकवाद को रोक पाने की विफलता से जनता का ध्यान हटाने एवं राजनैतिक वोट बैंक की नीति के कारण केंद्र सरकार कथित हिंदू आतंकवाद के केसों में जिन संदिग्ध आरोपियों को 5 वर्षों से जेल में रखकर स्वयं मीडिया द्वारा उन्हें हिन्दू आतंकवादियों के रूप में प्रचारित कर रही है, उससे उनके जीवन को विभिन्न जेहादी संगठनों से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, (देखें संलग्न समाचार), तथा न्यायालय से निर्दोष मुक्त हो जाने के बाद भी आजीवन यह खतरा रहेगा, ऐसे में संविधान की धारा 21 में प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए (कथित एवं प्रचारित हिंदू आतंकवादियों के संदर्भ में) भारत सरकार की क्या नीति है?

HINDUSTAN TIMES - 8.4.12

Malegaon blast accused on SIMI hit list: Report

8-4-12

ht EXCLUSIVE

Rajesh Ahuja

rajesh.ahuja@hindustantimes.com

NEW DELHI: Colonel Prasad Purohit, Sadhvi Pragya Thakur and Dayanand Pandey, the three accused in the September 2008 Malegaon blast case, are on the hit list of the Students Islamic Movement of India (SIMI).

According to a government report based on intelligence inputs from central agencies and various state police forces, the SIMI activists intend to rope in underworld contacts to execute their plan.

Besides the three Malegaon blast case accused, a Hindu leader in Pune and a lawyer in Bhiwandi are also on the list of targets.

The three accused — Purohit, Pragya and Pandey — have been in judicial custody since they were arrested by the Mumbai Anti-Terror Squad (ATS) for the Malegaon blast in November 2008. The blast took place on September 7, 2008. At present, the National Investigation Agency (NIA) is probing the case.

In the past, SIMI activists had hatched plans to assassinate the accused in the 2002 Gujarat riots case as well as three judges of the Allahabad high court, who pronounced the verdict in the Babri Masjid case in 2010. This is for the first time that government agencies have stumbled upon a plan to target accused persons in Hindu terror cases.

The report also claimed that SIMI regularly tries to establish links with terror outfits such as Lashkar-e-Taiba (LeT) and Jaish-e-Mohammad (JeM). A SIMI activist, identified as Mohammad Azazuddin, had visited Saudi Arabia in November 2010, followed by Bangladesh in February 2011, to meet a JeM operative called Wali Hassan.

Wali Hasan is based in Saudi Arabia.

Another SIMI activist, Abu Faisal, went to Hyderabad and met two prominent preachers to explore the possibility of developing closer ties with the LeT. Both Faisal and Azazuddin were arrested by the Madhya Pradesh police.

5- मालेगांव विस्फोट-2008 की जांच तथा इस केस के लिए गए Confession एवं किए जाने के बाद भी NIA यह सिद्ध हो गया है कि ये तैयार किए गये तथा कि न्याय के प्रति न होकर निष्पक्ष कहा जा सकता है की जांच पर निगरानी रखे है? यदि हां तो विवरण

4- इस देश में लंबे समय से जड़ जमा चुके जेहादी इस्लामिक आतंकवाद को रोक पाने की विफलता से जनता का ध्यान हटाने एवं राजनैतिक वोट बैंक की नीति के कारण केंद्र सरकार कथित हिंदू आतंकवाद के केसों में जिन संदिग्ध आरोपियों को 5 वर्षों से जेल में रखकर स्वयं मीडिया द्वारा उन्हें हिन्दू आतंकवादियों के रूप में प्रचारित कर रही है, उससे उनके जीवन को विभिन्न जेहादी संगठनों से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, (देखें संलग्न समाचार), तथा न्यायालय से निर्दोष मुक्त हो जाने के बाद भी आजीवन यह खतरा रहेगा, ऐसे में संविधान की धारा 21 में प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए (कथित एवं प्रचारित हिंदू आतंकवादियों के संदर्भ में) भारत सरकार की क्या नीति है?

5- मालेगांव विस्फोट-2006 केस में जब CBI जैसी शीर्ष जांच एजेंसी की जांच तथा इस केस के 9 में से 7 आरोपियों द्वारा MCOCA के तहत दिए गए Confession एवं पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक व हथियार बरामद किए जाने के बाद भी NIA उन आरोपियों को निर्दोष पा रही है तो यह सिद्ध हो गया है कि इन आरोपियों को फंसाने के लिए झूठे साक्ष्य तैयार किए गये तथा किसी भी जांच एजेंसी की प्रतिबद्धता कानून व न्याय के प्रति न होकर सत्ता के प्रति है, ऐसे में NIA को भी कैसे निष्पक्ष कहा जा सकता है? अतः क्या सरकार के पास इन एजेंसियों की जांच पर निगरानी रखने का कोई प्रामाणिक एवं विश्वसनीय तंत्र है? यदि हां तो विवरण दें।

6- क्या सरकार ने NIA को निर्देश दिया है कि वो मालेगांव - 2008 विस्फोट केस में दिसंबर - 2012 में गिरफ्तार किए गए नए आरोपियों की chargesheet जल्दी न्यायालय में न लगाए, क्योंकि इससे इस केस में गिरफ्तार पूर्व आरोपी 2008 के आरोपियों की तरह discharge की मांग न्यायालय में करने लगेंगे।

यदि ऐसा कोई निर्देश NIA को दिया गया है तो कृपया विवरण दें, और यदि नही तो बताएं कि न्यायालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के निर्धारित समय से अधिक समय दिए जाने के बाद भी NIA अब तक नए आरोपियों के आरोप पत्र क्यों नही दे रही है?

7- कृपया इस आवेदन पत्र पर की गयी प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण भी उपलब्ध कराएं।

नोट - कृपया उपरोक्त किसी भी सूचना हेतु किसी वेबसाईट का संदर्भ न दे क्योंकि कारागार में internet का प्रयोग संभव नही, अतः लिखित/मुद्रित सुचना ही भेंजे तथा यदि कोई सूचना या उसका भाग आपसे संबंधित न हो तो उसे RTI Act की धारा 6(3) अंतगर्त संबंधित विभाग को अंतरित कर मुझे सूचित कर दे। लिखित /मुद्रित सूचना प्रदान करने हेतु (U.T. Prisoners को) बाम्बे उच्च न्यायालय के आदेश F.A.No.620/2012, दि. 23.11.12 को net पर देख लें।

कृपया सूचना स्पीड पोस्ट/रजि.पो.से ही भेजें.

संलग्न :- RTI Act में निर्धारित शुल्क रु.१०/- का भारतीय पोस्ट आर्डर क्रं. 13F 943859

दिनांक :- 26.08.2013

स्थान :- तलोजा मध्यवर्ती कारागार

(आवेदक के हस्ताक्षर)

Reply of Sl No. 184

RTI MATTER

No.II/20034/20/2013-(IS-II)(Pt.)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(IS-I DIVISION)

New Delhi, Dated 26 September, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Information sought under the RTI Act, 2005 by Shri Swami Amritanand Dev Trith.**

Please find enclosed an RTI application dated 19.9.2013 alongwith its enclosures, received by the undersigned on 26.9.2013 on transfer from RTI Division, MHA.

2. As far as IS-II Section of IS-I Division is concerned, the application does not relate to this Division.

3. However, the RTI application is transferred to Director (IS-II). MHA under section 6(3) of RTI Act, 2005 with the request to furnish the information to applicant directly.

(Rakesh Mittal)
Director (IS-I) & CPIO
Tel.23092132

o/c

Shri R.K. Suman
Director (IS-II)
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi

ISSUED
27 SEP 2013
गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक/MHA (NB)
हस्ताक्षर/Sign.
प्रा० तथा प्र०/R&I

CC

Copy to:

1. **Shri Swami Amritanand Dev Trith, High Security Cell-2/20, Taleja Central Jail, Khargarh, Navi Mumbai – 410210**
2. **Shri S. Samant, Under Secretary & CPIO, (RTI Division) MHA w.r.t. their Letter No.A-43020/1/2013-RTI dated 19.9.2013 for information.**

29/9